न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – राजेश मीणा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निगरानी याचिका संख्या– 02/2023
सी.आई.एस नम्बर – 33/2023

किराडिया ट्रेलर्स सर्विस प्रोपराईटर ताराचंद रेगर पुत्र लालूराम रेगर जाति–रेगर, निवासी ग्राम पोस्ट गाटियाना तहसील अराई जिला अजमेर।

निगरानीकार

––बनाम––

1-प्रकाश यादव पुत्र बद्रीलाल निवासी नसीराबाद जिला अजेर।
2–राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजक

गैर निगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 12–01–2023 जो विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण)संख्या 1, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 6587/2021 प्रकाश यादव बनाम किराडिया ट्रेलर्स मे पारित किया गया।

उपस्थित:–
1–निगरानीकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
2–गैर निगरानीकार संख्या एक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3– श्री अशोक अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

––––

आदेश दिनांक 03–07–2026

1– निगरानीकार किराडिया ट्रेलर्स सर्विस प्रोपराईटर ताराचंद की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 1 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 6587/2021 प्रकाशचंद बनाम किराडिया ट्रेलर्स मे पारित आदेश दिनांक 12–1–2023 के विरूद्ध यह निगरानी याचिका माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के न्यायालय मे प्रस्तुत की जो अंतरित होकर इस

Authenticated Document

न्यायालय को प्राप्त हुई। आलौच्य आदेश के अनुसार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकार द्वारा आवेदन बाबत विधिक नोटिस की फोटोप्रति पर प्रदर्श अंकित नहीं करने व नही पढने के संबंध मे प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार कर खारिज करने का आदेश पारित किया गया है।

2– निगरानीकार के विरूद्ध उक्त न्यायालय मे धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम मे प्रकरण विचाराधीन रहा था। जिसमे निगरानीकार के अधिवक्ता ने एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर जतो विधिक नोटिस उपलब्ध है वह मूल नहीं होकर फोटोप्रति है, जिस पर परिवादी की साक्ष्य के दौरान प्रदर्श अंकित नहीं किया जावे न ही निस्तारण मे उक्त प्रदर्श को पढा जावे।

3– गैर निगरानीकार द्वारा आवेदन का लिखित जबाब प्रस्तुत नहीं कर बहस की गयी जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षो को सुनकर निगरानीकार का आवेदन अस्वीकार कर खारिज करने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है।

4– निगरानीकार ने अपनी निगरानी याचिका में यह अंकित किया है कि परिवादी की जिरह के दौरान अधिवक्ता परिवादी ने नोटिस प्रति पर प्रदर्श अंकित किया जिस पर निगरानीकारके अधिवक्ता ने आपत्ति की थी। परिवादी अधिवक्ता ने धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिस पर भी अधिवक्ता निगरानीकार ने आपत्ति की थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे यह अंकित किया है कि प्रदर्श अंकित करते समय आपत्ति नहीं की गयी थी इस कारण आपत्ति निरस्त की जाती है। परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणो मे नोटिस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिस पर सम्पूर्ण प्रकरण आधारित रहता है। अंत मे निगरानी याचिका स्वीकार करने का निवेदन किया।

5– अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का कडा विरोध किया व तर्क दिया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधिसंगत एवं विधिनुसार है।

Authenticated Document

6– उक्त तर्कों का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश अवैध, अशुद्ध व औचित्यहीन होकर कार्यवाही की अनियमितता से ग्रस्त है अथवा नहीं?

07– प्रस्तुत प्रकरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित रहा है जिसमे परिवादी की साक्ष्य के दौरान दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किये जाने या प्रदर्श अंकित नहीं किये जाने व साक्ष्य मे नहीं पढे जाने का मामला रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12–01–2023 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट जाहिर आता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नोटिस की फोटो प्रति पर प्रदर्श अंकित नहीं करने व उक्त प्रदर्श को नहीं पढने के संबंध मे प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। उक्त आदेश के पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त आदेश अर्न्तवर्ती आदेश रहा है। जिससे किसी पक्ष के अधिकार अंतिम रूप से विनिश्चित नहीं होने से उक्त आदेश अन्तर्वती रहा है। जिसके विरूद्ध निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न विनिश्चयो मे यह प्रतिपादित किया है कि अन्तर्वती आदेश के विरूद्ध निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होती है।

8– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

9– फलतः निगरानीकार किराडिया ट्रेलर्स सर्विस द्वारा गैर निगरानीकारगण प्रकाश एवं अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति प्रेषित की जावे।

(राजेश मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 2 अजमेर

Authenticated Document

10– आदेश आज दिनांक 03–7–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(राजेश मीणा)

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 2 अजमेर

Authenticated Document